

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 48/2009/अजमेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, डूंगरपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स टी. एस. रोडवेज प्रा० लिमिटेड, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. गर्ग, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 13/02/2014

निर्णय

यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 18/07-08/आरएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.8.2008 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 4.3.2000 को अहमदाबाद-उदयपुर मार्ग पर रतनपुर (डूंगरपुर) के पास वाहन संख्या एम.पी.09/के.बी.-4947 को चैक किये जाने पर वाहन में मुम्बई से अजमेर के लिये रबड़ टायर परिवहनित किया जाना पाया गया। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल्टी, ट्रांसपोर्ट चालान एवं टायर इण्डिया मुम्बई द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये। परिवहनित माल के साथ बिल/इन्वॉयस एवं घोषणा पत्र एस.टी.18ए/एए प्रस्तुत नहीं किये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(2) के उल्लंघन के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए घोषणा पत्र व बिल प्रस्तुत करने में असमर्थता जाहिर की। इस पर सशक्त अधिकारी ने माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का

लगातार.....2

उल्लंघन मानते हुए धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 4,24,500/- का आरोपण आदेश दिनांक 10.3.2000 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.3.2005 से स्वीकार की गई। विभाग द्वारा उक्त आदेश को संशोधित करने हेतु अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2008 से उक्त संशोधन प्रार्थना-पत्र इस आधार पर अपास्त किया गया कि दिनांक 22.3.2002 से पूर्व धारा 78(5) के तहत माल मालिक पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता था तथा पूर्व आदेश दिनांक 28.3.2005 में रेकॉर्ड पर परिलक्षित कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश उपलब्ध तथ्यों व विधि के प्रतिकूल है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना-पत्र दिनांक 8.10.2007 को अस्वीकार कर विधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी ने अपील आदेश दिनांक 28.3.2005 में व्यवहारी की अपील स्वीकार इस आधार पर की गई थी कि स्वयं के उपयोग हेतु आयातित अधिसूचित माल के साथ घोषणा पत्र एस.टी.18एए नहीं होते हुए भी करापवंचन की मंशा के अभाव में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती थी। द्वितीय आधार यह भी लिया गया कि दिनांक 22.3.2002 से पूर्व माल मालिक पर धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय नहीं थी। क्योंकि इस धारा के तहत माल परिवहनकर्ता पर ही शास्ति आरोपित की जा सकती थी। अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सिविल अपील संख्या 5197 दिनांक 3.8.2007 के आलोक में संशोधन प्रार्थना-पत्र दायर किया था कि इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने घोषणा पत्र दस्तावेजों के साथ होना विधिक आवश्यकता मानते हुए तथा इनके अभाव में करापवंचन की मंशा प्रमाणित मानते हुए धारा 78(2) का उल्लंघन होने से धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय अभिनिर्णीत किया है।



लगातार.....3


अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी विभाग ने अधिनियम की धारा 37 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के तहत अपीलीय अधिकारी के समक्ष संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार घोषणा पत्र एस.टी.18ए के अभाव में धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय थी। अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भिन्न तथ्यों पर आधारित बताते हुए संशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूर्णतया प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा होता है।

अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 22.3.2002 से पूर्व के प्रकरणों में शास्ति माल परिवहनकर्ता पर ही आरोपणीय मानते हुए अपील आदेश को असंशोधनीय निर्णीत किया है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स प्रकरण के निर्णय (2008) 27 टैक्स अपडेट 159 में दिनांक 22.3.2002 से पूर्व भी माल मालिक पर भी शास्ति आरोपण को विधिक होना निर्णीत किया है। अतः दोनों आधारों पर अपील आदेश संशोधनीय था। फिर भी अपीलीय अधिकारी ने संशोधन आवेदन अस्वीकार कर विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश में रेकॉर्ड पर उपलब्ध कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी ने परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया था। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज प्रकरण के निर्णय दिनांक 3.8.2007 के आधार पर परिशोधन प्रार्थना-पत्र दायर किया था, जबकि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष घोषणा पत्र एस.टी.18ए/सी के अपूर्ण होने का प्रश्न विचारणीय था, न कि एस.टी.18ए का।

यह भी कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय, निर्णय की तिथि से प्रभावी होता है। अतः उसे भूतलक्षी प्रभाव से मान्य नहीं किया जावे, इसलिए भी अपील आदेश को उचित बताते हुए परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार को विधिसम्मत बताया।

अग्रिम कथन किया कि धारा 37 (वेट अधिनियम की धारा 33) का क्षेत्र सीमित है, जिसमें पृथक तथ्यों के निर्णय के आधार पर पूर्व निर्णय को परिशोधित नहीं किया जा सकता।



उक्त आधारों पर अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से अधिसूचित माल रबड़ टायर का आयात स्वयं के उपयोगार्थ किया जा रहा था तथा माल के साथ के दस्तावेजों में अधिनियम की धारा 79 सपठित नियम 53 के तहत विहित घोषणा पत्र एस.टी.18एए उपलब्ध होना बाध्यकारी था। अपीलीय अधिकारी ने विधिक न्यायिक दृष्टान्तों का अवलंबन लेते हुए करापवंचन की मंशा के अभाव में तथा दिनांक 22.3.2002 से पूर्व माल मालिक पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण को अविधिक ठहराते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार कर शास्ति आदेश दिनांक 28.3.2005 से अपास्त कर दिया।

अपीलीय अधिकारी के समक्ष विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज निर्णय सिविल अपील संख्या 5197 दिनांक 3.8.2007 (18 टैक्स अपडेट 318) अनुसार अपील निर्णय के परिशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र दायर किया था। अपीलीय अधिकारी प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य माननीय उच्चतम न्यायालय के गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय से भिन्न बताते हुए आदेश परिशोधनीय नहीं होना निर्णीत किया। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2008) 20 टैक्स अपडेट 62 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उदयपुर बनाम मैसर्स नरसिंग ट्रेडिंग कम्पनी के निर्णय दिनांक 27.11.2007 का अवलंबन लेते हुए दिनांक 22.3.2002 से पूर्व माल मालिक पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण को अविधिक बताते हुए परिशोधन प्रार्थना-पत्र खारिज किया।

अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 18 टैक्स अपडेट 321 के आलोक में परिशोधन प्रार्थना-पत्र दायर किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति के लिये सिविल अपराधों में करापवंचन की मनोदशा प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है तथा परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ यदि विहित घोषणा पत्र साथ में नहीं हो तो यह मंशा भी प्रमाणित हो जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश उद्धरित करना समीचीन होगा : -



लगातार.....5

".....For the aforesaid reasons, we hold that section 78(5) of the RST Act 1994 (Section 22A(7) of the RST Act, 1954) is the section enacted to provide remedy for loss of revenue and it is not enacted to punish the offender for committing economic offence and, therefore, mens rea is not an essential ingredient for contravention of Section 78(2) of the RST Act 1994. That, **the breach of Section 78(2) would attract the levy of penalty under Section 78(5) in cases** where the goods in movement have travelled with an incomplete Form No. 18A/18C"


प्रस्तुत प्रकरण में अधिसूचित माल के साथ घोषणा पत्र एस.टी.18एए होना अधिनियम की धारा 79 सपठित नियम 53 अनुसार बाध्यकारी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार धारा 78(2) के उल्लंघन पर शास्ति आरोपणीय है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष विभाग द्वारा धारा 37 (वेट अधिनियम की धारा 33) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रावधान अनुसार कोई आदेश पारित किये जाने के समय वह विधिसम्मत था, लेकिन बाद के कर बोर्ड, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अविधिक हो जाता है तो यह रेकॉर्ड से उपलब्ध भूल की श्रेणी में आने के कारण आदेश संशोधनीय विहित किया है। अधिनियम की धारा 37 का सुसंगत अंश उद्धरित करना उचित होगा :-

**Section 37- Rectification of a mistake.-**

- (1) With a view to rectifying any mistake **apparent from the record**, any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him.

**Explanation.- A mistake apparent from the record** shall be include an order which was valid when it was made and is subsequently **rendered invalid by an amendment of the law having retrosepective operation or by a judgement of the Supreme court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.**

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
- (3) Where an application under sub-section (1) **is presented to the assessing authority**, appellate authority or Tax Board and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

 लगातार.....6

- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.


उक्त प्रावधानानुसार प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 18 टैक्स अपडेट 321 अनुसार परिशोधन प्रार्थना-पत्र स्वीकारणीय है।

अपीलीय अधिकारी ने परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने का एक आधार यह भी अंकित किया है कि तत्समय के विधिक प्रावधान अनुसार दिनांक 22.3.2002 से पूर्व परिवहनित माल के मालिक पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती थी। अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स प्रकरण (2008) 27 टैक्स अपडेट 159 को उद्धरित किया है, जिसमें माल प्रभारी में माल मालिक भी शामिल होने के कारण दिनांक 22.3.2002 से पूर्व भी माल मालिक पर शास्ति आरोपित की जा सकती थी। ऐसी स्थितियों में अपीलीय अधिकारी के समक्ष परिशोधन प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य था।

उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी ने परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर विधिक भूल की है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 20.8.2008 सपठित आदेश दिनांक 28.3.2005 अपास्त किये जाते हैं तथा सशक्त अधिकारी का आदेश दिनांक 10.3.2000 बहाल (Restore) किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
13/02/14